प्रकरण संख्या 55/2016 नरसिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार सज्जनगढ़

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.01.2019	वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रकरण में हमारे द्वारा समायत शुदा बहस पर मनन किया गया व पत्रावली के रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा लोक अदालत में रखकर, प्रकरण में खण्डन का जवाबदावा लिये बिना, सिर्फ सरकार का जवाब पेश होना अंकित कर, प्रकरण में साक्ष्य लिये बिना एवं राजीनामा हुए बिना वादी का वाद खारिज कर दिया है, जो प्राकृतिक न्याय एवं विधि के विरूद्ध होकर त्रुटि है। उपरोक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 13.07.2016 अपास्त की जाती है तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट का जवाबदावा प्राप्त कर, आवश्यकतानुसार तनकियात कायम कर एवं उभयपक्षों की साक्ष्य लेकर प्रकरण में तनकीवार विधिक निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.03.2019 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 11.01.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। (एल.एन. मंत्री) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर	

<u>प्रकरण संख्या 55/2016 नरसिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार सज्जनगढ़</u>